

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन
कारपोरेशन लिमिटेड

GSTIN:-
09AAACU8823E1Z9

1. ई० निविदा सं०
०८ / वि०४०० के०वी० उ०सं० ख
०(प०) / २०२०-२१ :—
विद्युत ४०० के०वी० उपकेन्द्र
पनकी पर फायर
एक्सटिन्युशर के रिफलिंग
का कार्य।

अधिशासी अभियन्ता
४०० के०वी० उपसंस्थान
खण्ड, पनकी

“राष्ट्र हित में ऊर्जा
बचायें”

(Signature)
अधिशासी अभियन्ता
उ० प्र० पा० ट्रां० का० लि०
वि०-४००, के०वी०
पनकी, कानपुर



U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

ELECTY. 400 K.V. SUBSTATION DIVISON

विद्युत 400 के०वी० उप संस्थान खण्ड

PANKI KANPUR – 208020

पनकी कानपुर–208020

Email ID: ee400panki@upptcl.org

GSTIN:- 09AAACU8823E1Z9

CIN- U40101UP2004SGC028687

संख्या. २५६ /वि० 400 के०वी०उ०स०ख०(प०) /विज्ञापन

(विज्ञापन आदेश)

दिनांक १०.०३.२०२१

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक,
दैनिक स्वतंत्र चेतना, कानपुर।

महोदय,

कृपया संलग्न विज्ञापन अपने प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र के शीघ्रतम के अंक में "कम से कम स्थान" (हिन्दी) भाषा के समाचार पत्रों के लिए ७-८ प्लाइट टाइप में तथा अंग्रेजी के समाचार पत्रों के लिए ६-८ प्लाइट टाइप में (समाचार पत्र के केवल एक कालम) प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हेडिंग व नीचे का नाम का नाम व पता यथा सम्बव एक ही लाइन में रनिंग मैटर का रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।

1. निविदा सूचनाओं का प्रकाशन निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन ओदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल के साथ विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में, अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण प्रतियों संलग्न करते हुए भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी को (जो भुगतान परिक्षेत्रीय लेखा स्तर पर होना है) प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव न होगा।
3. संलग्न हिन्दी अंग्रेजी भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में तथा हिन्दी समाचार पत्र में केवल हिन्दी भाषा में ही किया जाये। हिन्दी समाचार पत्र के लिए संलग्न अंग्रेजी भाषा की सामग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाये जिसके लिए समाचार पत्र की कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
4. विज्ञापन प्रकाशन होते विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरी इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें। इस सस्करण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त न हो प्रकाशन न करें।
6. विज्ञापन के अन्त सबसे नीचे छोटे टाइप में "राष्ट्र हित" में विजली बचाये का नारा तथा इस विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक अवश्य प्रकाशित करें।
7. उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्रदे ढंग से प्रकाशित किये गए विज्ञापनों में परिषद द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नक:

1. विज्ञापन आदेश प्रथम एवं द्वितीय प्रति।
2. विज्ञापन सामग्री नं०

संख्या.. /वि० 400 के०वी०उ०स०ख०(प०) /विज्ञापन

अधिशासी अभियन्ता
अधिशासी अभियन्ता
400 के०वी० उपसंस्थान खण्ड, पनकी
उ० प्र० पा० ट्रा० का० लि०

वि०-400, के०वी०

पनकी, कानपुर

दिनांक .03.2021